

₹ 963

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगाढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - करजासी

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 554/25 दायर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कालवलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	हरिजी का खेड़ा	19	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं राजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अख्यतीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम हरिजी का खेड़ा प.ह. करजासी खालासं 19 में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर करजासी पटवारी	हस्ताक्षर गिरदाहर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
	प्रतिलिपि पालनाथ:-			

1. पटवारी पटवार मण्डल करजासी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरासद करें कपासन जिला-चित्तौडगाढ़

तहसीलदार (भ.अ.) कपासन  
-तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (भ.अ.) कपासन